अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में दिनांक 11.07.2016 को सायं 6.00 बजे बेला माइनर से सम्बन्धित बैठक की कार्यवृत्ति ।

अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में दिनांक 11.07.2016 को सायं 6.00 बजे बेला माइनर से सम्बन्धित बैठक आहूत की गयी जिसमें निम्न अधिकारी उपस्थित रहे :-

1. श्री महेन्द्र बहादुर सिंह मुख्य विकास अधिकारी, प्रतापगढ़।

2. श्री पुनीत शुक्ल, अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0), प्रतापगढ़।

3. श्री राम सिंह वर्मा मुख्य राजस्व अधिकारी, प्रतापगढ़।

4. श्री शशि भूषण राय उप जिलाधिकारी सदर, प्रतापगढ़।

5. श्री संजय त्रिपाठी अधिशाषी अभियन्ता सिंचाई खण्ड, प्रतापगढ़।

6. श्री ए0के0 सिंह, सहायक अभियन्ता द्वितीय सिंचाई खण्ड, प्रतापगढ़।

1. समीक्षा के दौरान अधिशाषी अभियन्ता सिंचाई खण्ड द्वारा अवगत कराया गया कि वर्ष 1959 में माइनर बेला हेतु अधिग्रहीत भूमि का अधिकार–पत्र प्राप्त है और सिंचाई विभाग के अभिलेखों/नक्शों में माइनर बेला 9.00 कि0मी0 लम्बाई में दर्ज है तथा नहर अपने स्वरूप में कि0मी0 7.47 तक मौजूद है एवं बीच–बीच में कुछ स्थानों पर नहर की पटरी का अतिक्रमण किया गया है और कि0मी0 7.46 से कि0मी0 9.00 तक नहर का स्वरूप अतिक्रमण के कारण समाप्त हो चुका है। इस सम्बन्ध में उप जिलाधिकारी सदर/अधिशाषी अभियन्ता सिंचाई खण्ड को निर्देशित किया गया कि उक्त महत्वपूर्ण प्रकरण का पुनः स्थलीय/अभिलेखीय परीक्षण कर अपनी सुस्पष्ट संयुक्त आख्या एक सप्ताह के भीतर मुख्य विकास अधिकारी के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपलब्ध करायें।

2. समीक्षा के दौरान तहसीलदार सदर द्वारा अवगत कराया गया कि नहर के समरेखण में ग्राम सगरा में मानचित्र छोटा होने तथा ग्राम करनपुर राजस्व अभिलेखों में अंकन न होने के कारण सत्यापन कार्य नहीं हो सका है। इस सम्बन्ध में उप जिलाधिकारी सदर/अधिशाषी अभियन्ता सिंचाई खण्ड को निर्देशित किया गया कि उक्त महत्वपूर्ण तथ्य की संयुक्त रूप से स्थलीय/अभिलेखीय जॉच कर अपनी सुस्पष्ट आख्या अधोहस्ताक्षरी के समक्ष एक सप्ताह के भीतर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

3. समीक्षा के दौरान अधिशाषी अभियन्ता सिंचाई खण्ड द्वारा अवगत कराया गया कि 61 लोगों के विरुद्ध वर्ष 2013 में अतिक्रमण हटाने हेतु नोटिस दी गयी थी किन्तु उसके पश्चात् कोई कार्यवाही नही हुई। इस सम्बन्ध में अधिशाषी अभियन्ता सिंचाई खण्ड को निर्देशित किया गया कि समस्त सम्बन्धित अतिक्रमणकारियों को अतिक्रमण हटाने का अन्तिम अवसर प्रदान करते हुए पुनः 15 दिवस की नोटिस देते हुए अतिक्रमण हटवाने की नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें।

4. समीक्षा के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया कि बेला माइनर के अधिकांश भाग पर पूर्व से कतिपय लोगों द्वारा अवैध रूप से कब्जा करके मकान निर्माण कर लिया गया है, परन्तु

———2

EE, ID PBG

उसकी सिल्ट सफाई का भुगतान पिछले कई वर्षों से विभाग द्वारा किया गया है। इस सम्बन्ध में अधिशाषी अभियन्ता सिंचाई खण्ड को निर्देशित पिछले 05 वर्षों में बेला माइनर के शुरू से लेकर अंतिम हिस्से तक यदि सिल्ट सफाई करायी गयी है या नहीं, के सम्बन्ध में स्वयं स्थलीय/अभिलेखीय परीक्षण कर एक सप्ताह के भीतर मुख्य विकास अधिकारी के माध्यम से अपनी सुस्पष्ट आख्या वर्षवार उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

5. समीक्षा के दौरान अधिशाषी अभियन्ता सिंचाई खण्ड द्वारा अवगत कराया गया कि तहसील सदर के ग्राम सगरा व करनपुर में निर्मित माइनर बेला नहर अधिग्रहीत भूमि का राजस्व अभिलेखों में अंकन कराये जाने हेतु वर्ष वर्ष 2013 में तहसीलदार सदर को पत्र प्रेषित किया गया था किन्तु उसपर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी है। इस सम्बन्ध में उप जिलाधिकारी सदर को निर्देशित किया गया कि उक्त महत्वपूर्ण प्रकरण का स्वयं स्थलीय/अभिलेखीय निरीक्षण कर तत्काल नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करते हुए अपनी सुस्पष्ट आख्या अधोहस्ताक्षरी के समक्ष एक सप्ताह के भीतर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

6. समीक्षा के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया कि कार्यालय पत्र संख्या : 1339/शिविर –2013/बेला दिनांक 28.05.2013 द्वारा बेला माइनर हुए अवैध अतिक्रमण को हटवाने के सम्बन्ध में सिंचाई विभाग एवं पुलिस विभाग की संयुक्त टीम गठित की गयी थी। उक्त के सम्बन्ध में अधिशाषी अभियन्ता सिंचाई खण्ड से पूँछतांछ की गयी तो उनके द्वारा संतोषजनक उत्तर नहीं दिया जा सका। इस सम्बन्ध में अधिशाषी अभियन्ता सिंचाई खण्ड को निर्देशित किया गया कि उक्त से सम्बन्धित प्रकरण का अभिलेखीय परीक्षण कर अपनी सुस्पष्ट आख्या अधोहस्ताक्षरी के समक्ष एक सप्ताह के भीतर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

7. समीक्षा के दौरान यह तथ्य प्रकाश में तत्कालीन अधिशाषी अभियन्ता श्री डी0के0 मिश्र द्वारा श्री डी0आर0 पाठक, सहायक अभियन्ता द्वितीय सिंचाई खण्ड को बेला माइनर ग्राम सगरा व करनपुर परगना व तहसील सदर में निर्मित नहर हेतु अधिगृहीत भूमि का राजस्व अभिलेखों में अंकन कराने के उपरान्त नहर की पैमाइश कराने के सम्बन्ध में अधिशाषी अभियन्ता सिंचाई खण्ड से पूँछतांछ की गयी तो उनके द्वारा संतोषजनक उत्तर नहीं दिया जा सका। इस सम्बन्ध में अधिशाषी अभियन्ता सिंचाई खण्ड को निर्देशित किया गया कि उक्त महत्वपूर्ण प्रकरण की स्वयं जॉच करके अपनी सुस्पष्ट आख्या मुख्य विकास अधिकारी के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी के समक्ष एक सप्ताह के भीतर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

8. समीक्षा के दौरान अधिशाषी अभियन्ता सिंचाई खण्ड को निर्देशित किया गया कि बेला माइनर किस स्थान से किस स्थान पर निर्मित थी और उसके किस–किस भाग पर अतिक्रमण कर किया गया है, पर किसके द्वारा अतिक्रमण किया गया गया हैं, का गाटावार विवरण अधोहस्ताक्षरी के समक्ष एक मुख्य विकास अधिकारी के माध्यम से एक सप्ताह के भीतर अवगत कराना सुनिश्चित करें।

9. समीक्षा के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया कि सिंचाई विभाग की पत्रावलियों में भूमि अधिग्रहण के सम्बन्ध में उपलब्ध अधिकार–पत्रों की मूल प्रति उपलब्ध नहीं है। इस सम्बन्ध में

———3

अधिशाषी अभियन्ता सिंचाई खण्ड को निर्देशित किया गया कि अगले दिन उक्त से सम्बन्धित पत्रावली एवं मूल अभिलेखों को अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0), प्रतापगढ़ के समक्ष उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

समस्त सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि उपर्युक्त दिये गये निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करायें। इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता न बरती जाये।

(डा0 आदर्श सिंह)
जिलाधिकारी,
प्रतापगढ़।

EE, ID.

कार्यालय जिलाधिकारी प्रतापगढ़।

संख्या :1545/सिंचाई खण्ड/बेला माइनर–2016 दिनांक : जुलाई 19, 2016

1. आयुक्त महोदय, इलाहाबाद मण्डल, इलाहाबाद।
2. पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़।
3. मुख्य विकास अधिकारी, प्रतापगढ़।
4. अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0)/मुख्य राजस्व अधिकारी, प्रतापगढ़।
5. उप जिलाधिकारी सदर/क्षेत्राधिकारी नगर, प्रतापगढ़।
6. अधीक्षण अभियन्ता, षोड्शम मण्डल सिंचाई कार्य, प्रतापगढ़।
7. अधिशाषी अभियन्ता सिंचाई खण्ड, प्रतापगढ़।
8. तहसीलदार सदर, प्रतापगढ़।
9. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, प्रतापगढ़।
10. अन्य समस्त सम्बन्धित।

D. Singh
जिलाधिकारी
प्रतापगढ़।

EE, ID ptg.